



कार्यालय चिप्स

स्टेट डाटा सेंटर भवन, सिविल लाईन्स रायपुर, छत्तीसगढ़

फोन नं. 0771-4014158 फैक्स नं. 0771-4066205

क्रमांक 2008/समुकाइ /चिप्स/2024

रायपुर, दिनांक 16/01/2024

प्रति,

उपनिदेशक,
एलिफेंट रिवर्ज अंबिकापुर
(छत्तीसगढ़).

विषय : आवेदनकर्ता छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसाइटी (चिप्स), रायपुर, छत्तीसगढ़ द्वारा सूरजपुर जिला के तमोर पिंगला अभ्यारण्य अंतर्गत एलिफेंट रिजर्व अभिकापुर क्षेत्रांतर्गत "भारतनेट प्रोजेक्ट फेज-2" के तहत भूमिगत ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाने के गैर वानिकी कार्य हेतु कुल 1.462 हैं। वन भूमि के वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत व्यपवर्तन प्रस्ताव।

पंजीयन क्रमांक FP/CG/OFC/43975/2020

- संदर्भ :**
- वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, छत्तीसगढ़ शासन का पत्र क्रमांक/एफ-5-37/2022/10-2 दिनांक 19/12/2023।
 - कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, छत्तीसगढ़ का पत्र क्रमांक/भू-प्रबंध/विविध-ए/115-851/60 नवा रायपुर दिनांक 08/01/2024।
 - आपका पत्र क्र. /मा. चि./2024/162 दिनांक 12/01/2024।

-00-

कृपया संदर्भित पत्र का अवलोकन करें। उक्त प्रकरण में वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत सूरजपुर जिला के तमोर पिंगला अभ्यारण्य अंतर्गत एलिफेंट रिजर्व अभिकापुर क्षेत्रांतर्गत "भारतनेट प्रोजेक्ट फेज-2" के तहत 29.33 कि.मी. लम्बे तथा 0.50 मी. चौड़े वन क्षेत्र कुल रकबा 1.462 हैं। वन भूमि (आरक्षित रकबा 0.431 है,, संरक्षित वन भूमि 0.992 हैं। एवं राजस्व वन भूमि 0.039 हैं।) में भूमिगत ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाने के गैर वानिकी कार्य हेतु वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, छत्तीसगढ़ शासन द्वारा आवेदनकर्ता छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसाइटी (चिप्स), रायपुर, छत्तीसगढ़ को उपयोग पर देने हेतु निर्धारित शर्तों के अधीन सेद्वांतिक स्वीकृति प्रदान की गई है। इन आरोपित शर्तों पर सहमति प्रदान करते हुए आपके समक्ष पालन प्रतिवेदन निम्नानुसार प्रस्तुत हैं –

1.	वन भूमि का वैधानिक स्वरूप अपरिवर्तित रहेगा।	शर्त मान्य है। वचन पत्र मय अनुलग्नक-1 संलग्न
2.	(अ) वन विभाग द्वारा उपयोगकर्ता के खर्च पर पूर्व भानुप्रतापपुर वनमंडल अंतर्गत प्रकरण में प्रस्तावित रकबा 1.462 हैं। वन भूमि के एवज में वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु आवेदक संस्थान द्वारा पूर्व भानुप्रतापपुर वनमंडल के अंतागढ़ परिक्षेत्र के ग्राम चाउरगांव में 2.967 हैं, तथा ग्राम पोडगांव में 10.427 हैं। कुल 13.394 हैं। राजस्व भूमि में से समतुल्य राजस्व भूमि में क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण किया जायेगा।	शर्त मान्य है। वचन पत्र मय अनुलग्नक-2 संलग्न
	(ब) उपरोक्त वन भूमि को 6 माह के अंदर नोडल अधिकारी द्वारा भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 29 के तहत संरक्षित वन या धारा-4 के तहत आरक्षित वन के रूप में अधिसूचित किया जाएगा।	

3.	उपयोगकर्ता वर्तमान मजदूरी दर से क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण की लागत राशि वन विभाग के पास पेशगी जमा करेगे ताकि वृक्षारोपण किया जा सके।	शर्त मान्य है। वचन पत्र मय अनुलग्नक-3 संलग्न
4.	(अ) समादेश याचिका (सी) क्रमांक/ 202/ 1995 के अंतर्गत आई.ए. क्रमांक-566 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों दिनांक 30.10. 2002, 01.08.2003, 28.03.2008, 24.04.2008 व 09.05.2008 के अनुसार तथा पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के पत्र क्रमांक 5-1/1998-एफ.सी. (पार्ट-11) दिनांक 18.09. 2003 के साथ इससे सम्बंधित पत्र क्रमांक 5-2/2006-एफ.सी. दिनांक 03.10.2006, पत्र क्रमांक 5-3/2007-एफ. सी. दिनांक 05.02.2009, तथा पत्र क्र. 5-3 /2011-FC (Vol-1) दिनांक 06.01.2022 तथा पत्र क्रमांक 5-3 /2011 -FC (Vol-1) दिनांक 22.03. 2022 के द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार वन विभाग उपयोगकर्ता अभिकरण से शुद्ध वर्तमान मूल्य (Net Present Value) वसूली जायेगी। (ब) विशेषज्ञ सगिति के प्रतिवेदन प्राप्त होने एवं उसे माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अंतिम रूप देने के पश्चात् यदि शुद्ध वर्तमान मूल्य के अतिरिक्त राशि देय होती है तो यह राशि वन विभाग द्वारा उपयोगकर्ता अभिकरण से वसूली जाएगी। उपयोगकर्ता अभिकरण इस आशय का वचन पत्र प्रस्तुत करेगा।	शर्त मान्य है। वचन पत्र मय अनुलग्नक-4 संलग्न
5.	परियोजना के अंतर्गत उपयोगकर्ता अभिकरण से प्राप्त समस्त निधि को Compensatory Afforestation Fund (CAF) Chhattisgarh SB01025203 के कार्पोरेशन बैंक लोदी कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली 110003 में स्थित खाता संख्या CAF 25203 में हस्तांतरित की जायेगी।	शर्त मान्य है। वचन पत्र मय अनुलग्नक-5 संलग्न
6.	प्रस्ताव में उल्लेख के अनुरूप ऑप्टिकल फायबर केबल लाईन का मार्ग संरेखित किया जायेगा तथा मार्ग परिवर्तित नहीं किया जायेगा।	शर्त मान्य है। वचन पत्र मय अनुलग्नक-6 संलग्न
7.	ऑप्टिकल फायबर केबल लाईन बिछाने हेतु वृक्ष नहीं काटे जायेंगे।	शर्त मान्य है। वचन पत्र मय अनुलग्नक-7 संलग्न
8.	उपरोक्त लाईन बिछाने हेतु खन्नि की अधिकतम चौड़ाई 0.50 मीटर तथा गहराई 1.65 मीटर होगी। वन्यप्राणी तथा बायोडायवर्सिटी को नुकसान न पहुंचें, इसे ध्यान में रखकर स्थानीय वनाधिकारी की निगरानी में खन्नि को खोदा तथा उपयोग उपरांत आवेदक द्वारा स्वयं के खर्च पर खन्नि को भरकर समतल किया जावेगा। यदि उपरोक्त लाईन बिछाने हेतु Horizontal Directional Drilling method (HDD) पद्धति का उपयोग किया जाता है तो, उपयोग किये जाने वाली मशीन के परिवहन हेतु मौजूदा सड़क का उपयोग किया जायेगा तथा अन्य वन क्षेत्र का उपयोग प्रतिबंधित होगा। इस पद्धति के उपयोग में यह ध्यान रखा जाये कि वन क्षेत्र के पलोरा एवं फौना तथा Regeneration को क्षति न हो।	शर्त मान्य है। वचन पत्र मय अनुलग्नक-8 संलग्न
9.	स्थल पर कार्य करने की तिथियों को आवेदनकर्ता द्वारा प्रभारी उपनिदेशक, एलिफेंट रिवर्ज/वनमंडलाधिकारी को पूर्व से सूचित किया जाएगा, ताकि मौके पर वन विभाग के अधिकारियों के समक्ष कार्य हो सके तथा खोदे जा रही वनभूमि की क्षति को न्यूनतम रखा जा सके।	शर्त मान्य है। वचन पत्र मय अनुलग्नक-9 संलग्न
10.	उपरोक्त लाईन, सड़क के किनारे तथा मौजूदा सड़क की चौड़ाई के अंतर्गत ही बिछाई जावेगी।	शर्त मान्य है। वचन पत्र मय अनुलग्नक-10 संलग्न
11.	आवेदक संस्थान, उपयोग पश्चात्, उपयोग किये गये भूमि का उपयोग /रखरखाव के खर्च को वहन करने हेतु, वचनबद्ध रहेगा।	शर्त मान्य है। वचन पत्र मय अनुलग्नक-11 संलग्न

12.	आवेदक संस्थान, स्थानीय वन/पर्यावरण को होने वाली क्षति की पूर्ति के लिए वचनबद्ध रहेगा, अतः यथासंभव वन/पर्यावरण को संरक्षित रखेगा।	शर्त से सहमत है। वचन पत्र मय अनुलग्नक-12 संलग्न
13.	आवेदक संस्थान रखरखाय का कार्य करने के पूर्व वन विभाग से अनुमति प्राप्त करेगा।	शर्त मान्य है। वचन पत्र मय अनुलग्नक-13 संलग्न
14.	वन भूमि का उपयोग प्रस्तावित कार्य के अतिरिक्त अन्य किसी कार्य के लिए नहीं किया जायेगा।	शर्त मान्य है। वचन पत्र मय अनुलग्नक-14 संलग्न
15.	प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) तथा अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) यह सुनिश्चित करेंगे कि, वनभूमि के हस्तांतरण से पूर्व, वन्यप्राणी संरक्षण अधिनियम 1927 के तहत उपयुक्त अनुमति, पर्यावरणीय अनुमति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पारम्परिक वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 सहित प्रस्तावित कार्य हेतु लागू होने वाले समस्त नियमों, विनियमों एवं दिशा निर्देशों एवं शर्तों का पालन किया जाएगा।	शर्त मान्य है। वचन पत्र मय अनुलग्नक-15 संलग्न
16.	भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के दिशा निर्देश क्रमांक F.No.6-175/2017 WL(pt), दिनांक 07.02. 2023 में भारत सरकार द्वारा निर्धारित/अधिरोपित समस्त शर्त लागू होंगी तथा आवेदक संस्थान उक्त शर्तों के पालन हेतु वचनबद्ध रहेगा।	शर्त मान्य है। वचन पत्र मय अनुलग्नक-16 संलग्न
17.	अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) नोडल अधिकारी (वन संरक्षण अधिनियम 1980) द्वारा प्रतिमाह की 5 तारीख के पूर्व राज्य शासन से जारी समस्त सामान्य अनुमोदन के प्रकरणों की रिपोर्ट, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, रायपुर को प्रेषित करेंगे।	शर्त मान्य है। वचन पत्र मय अनुलग्नक-17 संलग्न
18.	बिना भारत सरकार की अनुमति के वन भूमि का उपयोग बदलना, पन संरक्षण अधिनियन 1980 का उल्लंघन माना जायेगा तथा भूमि उपयोग को यदि बदलने की आवश्यकता हो, तो आवेदक संस्थान इस हेतु अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) नोडल अधिकारी तथा राज्य शासन के माध्यम से भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, रायपुर द्वारा अधिरोपित अन्य किन्हीं शर्तों के पालन हेतु आवेदक संस्थान बाध्य होगा।	शर्त मान्य है। वचन पत्र मय अनुलग्नक-18 संलग्न
19.	क्षेत्र के वनस्पति एवं वन्यजीव (Flora & Fauna) तथा पर्यावरण के संरक्षण / विकास हेतु समय-समय पर राज्य शासन या भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, रायपुर द्वारा अधिरोपित अन्य किन्हीं शर्तों के पालन हेतु आवेदक संस्थान बाध्य होगा।	शर्त मान्य है। वचन पत्र मय अनुलग्नक-19 संलग्न
20.	प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) यह सुनिश्चित करेंगे कि, प्रस्तावित कार्य के क्रियान्वयन में वन्यप्राणी संरक्षण से संबंधित कोई भी नियम/अधिनियम का उल्लंघन न हो।	शर्त मान्य है। वचन पत्र मय अनुलग्नक-20 संलग्न
21.	सूर्योदय से पहले एवं सूर्यास्त के पश्चात ऑप्टिकल फायबर केबल बिछाये जाने के कार्य करने की अनुमति नहीं होगी।	शर्त मान्य है। वचन पत्र मय अनुलग्नक-21 संलग्न
22.	संरक्षित क्षेत्र के अंदर जलाऊ लकड़ी का संग्रहण नहीं किया जावेगा तथा कोई ऐसी गतिविधि संचालित नहीं की जायेगी जिससे वन्यप्राणियों के लिए प्रतिकूल परिस्थितियां निर्मित हो।	शर्त मान्य है। वचन पत्र मय अनुलग्नक-22 संलग्न
23.	मशीनों का उपयोग सही प्रकार से किया जावेगा जिससे वन्यप्राणियों पर विपरीत प्रभाव न पड़े तथा जैव विविधता को नुकसान न हो।	शर्त मान्य है। वचन पत्र मय अनुलग्नक-23 संलग्न

24.	आवेदक संस्था द्वारा वन्यप्राणी संरक्षण अधिनियम 1972, वन संरक्षण अधिनियम 1980 तथा भारतीय वन अधिनियम 1927 के नियमों का पालन किया जायेगा। ऑप्टिकल फायबर केबल बिछाये जाने के कार्य में इस्तेमाल हो रहे मलबा, उपकरण आदि संरक्षित क्षेत्र के अंदर नहीं छोड़ जायेंगे।	शर्त मान्य है। वचन पत्र मय अनुलग्नक-23 संलग्न
25.	कार्य के समय इस्तेमाल किये जाने वाले मशीनों एवं उपकरणों से किसी प्रकार का तेज ध्वनि उत्पन्न न हो जिससे की वन्यप्राणियों एवं उनके रहवास में बाधा हो यह सुनिश्चित करें।	शर्त मान्य है। वचन पत्र मय अनुलग्नक-25 संलग्न
26.	आवेदक संस्थान किसी भी स्थिति में भारत सरकार की पूर्वानुमति के बिना, व्यवर्तित वन भूमि को किसी भी अन्य संस्थान/विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तांतरित नहीं करेगा।	शर्त मान्य है। वचन पत्र मय अनुलग्नक-26 संलग्न
27.	Adequate mitigation measures should be put in place for protection and conservation of wildlife.	शर्त मान्य है। वचन पत्र मय अनुलग्नक-27 संलग्न
28.	Care should be taken that no natural drainage gets obstructed by implementation of the project- Adequate water passageways need to be provided wherever applicable.	शर्त मान्य है। वचन पत्र मय अनुलग्नक-28 संलग्न
29.	No labor camp should be constructed within the Elephant Reserve or Forest area.	शर्त मान्य है। वचन पत्र मय अनुलग्नक-29 संलग्न
30.	Special care should be taken to ensure that the animal movement is not restricted due to the construction work.	शर्त मान्य है। वचन पत्र मय अनुलग्नक-30 संलग्न

वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, छत्तीसगढ़ शासन द्वारा प्रदायित सैद्धांतिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तों पर सहमति प्रदान करते हुए आपके समक्ष पालन प्रतिवेदन पृथक पृथक वचन पत्र 5 प्रतियों में प्रस्तुत है। प्रतिपूरक वृक्षारोपण (CA) एवं शुद्ध प्रत्याशा मूल्य (NPV) के संबंध में वांछित राशि के भुगतान की पावती संलग्न है। उक्त शर्तों की पूर्ति का पालन प्रतिवेदन के आधार पर अंतिम चरण (औपचारिक) स्वीकृति हेतु अग्रिम कार्यवाही करने का कष्ट करे।

संलग्न:- 1. पालन प्रतिवेदन मय 30 वचन पत्र
 2. CA & NPV की राशि भुगतान की पावती।



क्रमांक 2008/A/समुकाम/चिप्स/2024
 प्रतिलिपि:-

- अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भूप्रबंध/व.स.अ.), अरण्य भवन नवा रायपुर छत्तीसगढ़ की ओर सादर सूचनार्थ।
- मुख्य कार्यपालन अधिकारी, चिप्स रायपुर छत्तीसगढ़ की ओर सादर सूचनार्थ।





કાર્યાલય પ્રધાન મુખ્ય વન સંરક્ષક એવં વન બલ પ્રમુખ, છત્તીસગઢ
અરણ્ય ભવન, સેક્ટર-19, નાર્થ બ્લોક, કૈપિટલ કામ્પલેક્સ, નવા રાયપુર, અટલ નગર-492002
(અપર પ્રધાન મુખ્ય વન સંરક્ષક - ભૂ-પ્રબંધ)

દૂરભાષ: 0771 – 2512840

ઈ – મેલ: apccf-lm.cg@gov.in

ક્ર0/ભૂ-પ્રબંધ/વિવિધ-એ/115-852/60

નવા રાયપુર, દિનાંક ૦૬/૦૧/૨૦૨૪

પ્રતિ,

વન સંરક્ષક (વન્યપ્રાણી) એવં
ક્ષેત્રીય સંચાલક (એલીફેટ રિજર્વ)
સરગુજા, અન્ધ્રાકાપુર
છત્તીસગઢ

- વિષય :-** આવેદનકર્તા મેસર્સ છત્તીસગઢ ઇન્ફોટેક પ્રમોશન સોસાયટી (ચિપ્સ) રાયપુર દ્વારા સુરજપુર જિલે કે સરગુજા વનમંડલ અંતર્ગત એલીફેટ રિજર્વ તમોર પિંગલા અસ્યારણ્ય ક્ષેત્ર અંતર્ગત ભારત નેટ પ્રોજેક્ટ Phase-II કે તહેત ભૂમિગત ઑફિચિલ ફાયબર કેબલ બિંદુને કે ગૈર વાનિકી કાર્ય હેતુ કુલ 1.462 હૈ. વન ભૂમિ કે વન સંરક્ષણ અધિનિયમ, 1980 કે તહેત વ્યપવર્તન બાબત।
- સંદર્ભ:-** પંજીયન ક્રમાંક/ FP/CG/OFC/ 43274/ 2019
છત્તીસગઢ શાસન, વન એવં જલવાયુ પરિવર્તન વિભાગ મંત્રાલય કા પત્ર ક્રમાંક/ એફ 5-37/ 2023/ 10-2 દિનાંક 19.12.2023

* * * * *

વિષયાંતર્ગત સંદર્ભિત પત્ર કા અવલોકન કરેં, જિસકે માધ્યમ સે છત્તીસગઢ શાસન, વન એવં જલવાયુ પરિવર્તન વિભાગ મંત્રાલય દ્વારા દિનાંક 19.12.2023 કો પ્રકરણ મેં પ્રથમ ચરણ (સૈદ્ધાંતિક) સ્વીકૃતિ જારી કી ગઈ હૈ।

અત્ત: સંદર્ભિત પત્ર મેં દર્શાયે અનુસાર પ્રથમ ચરણ સ્વીકૃતિ મેં અધિરોપિત સમસ્ત શર્તો કા બિન્દુવાર પાલન પ્રતિવેદન મય પૃથક – પૃથક વચન પત્રો સહિત મુખ્ય વન સંરક્ષક, સરગુજા વૃત્ત કે માધ્યમ સે શીઘ્ર ઇસ કાર્યાલય કો પ્રેષિત કરના સુનિશ્ચિત કરેં।

અપૂર્ણ પાલન પ્રતિવેદન માન્ય નહીં કિયા જાવેગા।

સંલગ્ન:- સંદર્ભિત પત્ર કી છાયા પ્રતિ (05 પૃષ્ઠીય)।

અ.પ્ર.મુ.વ.સં (ભૂ-પ્રબંધ / વ. સં. અ)
છત્તીસગઢ

પૃ.ક્રમાંક/ભૂ-પ્રબંધ/વિવિધ-એ/115- 852/61 .

નવા રાયપુર, દિનાંક ૦૬/૦૧/૨૦૨૪

પ્રતિલિપિ સૂચનાર્થ એવં આવશ્યક કાર્યવાહી હેતુ:

1. પ્રધાન મુખ્ય વન સંરક્ષક (વન્ય પ્રાણી), અરણ્ય ભવન, નવા રાયપુર।

2. મુખ્ય વન સંરક્ષક, સરગુજા વૃત્ત અન્ધ્રાકાપુર, છત્તીસગઢ।

3. ઉપ નિદેશક, એલીફેટ રિજર્વ, સરગુજા, અન્ધ્રાકાપુર, છત્તીસગઢ।

4. મુખ્ય કાર્યપાલન અધિકારી; છત્તીસગઢ ઇન્ફોટેક પ્રમોશન સોસાયટી (ચિપ્સ), સિવિલ લાઈન, રાયપુર।

સંલગ્ન:- ઉપરોક્તાનુસાર

અ.પ્ર.મુ.વ.સં (ભૂ – પ્રબંધ / વ.સં. અ)
છત્તીસગઢ

छत्तीसगढ़ शासन
वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग
मंत्रालय,
महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

क्रमांक एफ ५-३७ / २०२३ / १०-२
प्रति,

नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक १९ / १२ / २०२३

१ प्रधान मुख्य वन संरक्षक
एवं वन बल प्रमुख
छत्तीसगढ़ अरण्य भवन,
सेक्टर-१९, नार्थ ब्लॉक,
नवा रायपुर, अटल नगर।

२ प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी)
छत्तीसगढ़ अरण्य भवन,
सेक्टर-१९, नार्थ ब्लॉक,
नवा रायपुर, अटल नगर।

विषय:- आवेदनकर्ता, छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसायटी (चिप्स) रायपुर द्वारा सूरजपुर जिले के सरगुजा वनमंडल अंतर्गत एलिफेंट रिजर्व तमोर पिंगला अभ्यारण्य अंतर्गत भारत नेट प्रोजेक्ट Phase-II के तहत भूमिगत ऑप्टिकल फायबर केबल बिछाने के गैर वानिकी कार्य हेतु कुल 1.462 हे. वन भूमि का वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत व्यपवर्तन प्रस्ताव।

संदर्भ:- १. भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली का पत्र क्र. F No.-11-9/98/FC दिनांक 16.10.2000 तथा पत्र क्र. F No.-11-9/98/FC दिनांक 08.04.2009।
२. भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली का पत्र क्र./F No.-5-3/2007-FC दिनांक 05.02.2009 तथा पत्र क्र. F No.-11-9/98/FC दिनांक 15.06.2004।
३. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) का पत्र क्र./भू-प्रबंध/विविध-ए/ 115-852/1883, दिनांक 08.08.2023 तथा पत्र क्र./भू-प्रबंध/विविध-ए/ 115-852/2321, दिनांक 04.10.2023।

—००—

कृपया संदर्भित पत्रों का अवलोकन करें। जिसमें प्रश्नाधीन प्रकरण में प्रथम चरण स्वीकृति प्रदाय करने की अनुशंसा की गई है।

आपके प्रस्ताव पर भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्र क्र. F No.-11-9/98/FC दिनांक 16.10.2000, पत्र क्र. F No.-11-9/98/FC दिनांक 08.04.2009, पत्र क्र./F No.-5-3/2007-FC दिनांक 05.02.2009 एवं पत्र क्र. F No.-11-9/98/FC दिनांक 15.06.2004 में निहित प्रावधानों के अंतर्गत विचारोपरांत राज्य शासन एतद् द्वारा निम्न तालिका में दर्शित विवरण अनुसार :-

तालिका

क्र.	जिला	प्रभावित वनमण्डल का नाम	प्रभावित परिक्षेत्र का नाम	प्रभावित वनखंड का नाम	प्रभावित वनभूमि का प्रकार	वन कक्ष क्र.	लम्बाई (मी.)	चौड़ाई (मी.)	रक्खा (हे.)
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०
1	सूरजपुर	एलीफेंट रिजर्व, तमोर पिंगला अभ्यारण्य	खोड़ गेम रेंज	खोड़	आरक्षित वन	909	2371.15	0.5	0.119
2				खोड़	आरक्षित वन	910	2419.130	0.5	0.121
3				खोड़	आरक्षित वन	911	64.274	0.5	0.003
4				खोड़	आरक्षित वन	914	2009.040	0.5	0.100
5				अरचोका	आरक्षित वन	928	27.460	0.5	0.001
6				अरचोका	आरक्षित वन	929	81.965	0.5	0.004
7				ईंजानी	आरक्षित वन	879	192.092	0.5	0.010
8				टमकी	आरक्षित वन	880	404.480	0.5	0.020
9				टमकी	आरक्षित वन	882	1061.660	0.5	0.053
आरक्षित वन भूमि का योग									0.431
10	सूरजपुर	एलीफेंट रिजर्व, तमोर पिंगला अभ्यारण्य	खोड़ गेम रेंज	खोड़	संरक्षित वन	P227	1315.43	0.5	0.066
11				छत्तौली	संरक्षित वन	P228	1723.84	0.5	0.086
12				खोड़	संरक्षित वन	P897	907.194	0.5	0.045
13				खोड़	संरक्षित वन	P899	1652.450	0.5	0.083

क्र.	जिला	प्रभावित वनमण्डल का नाम	प्रभावित परिक्षेत्र का नाम	प्रभावित वनखंड का नाम	प्रभावित वनभूमि का प्रकार	वन कक्ष क्र.	लम्बाई (मी.)	चौड़ाई (मी.)	रकबा (ह.)	
14				खोड़	संरक्षित वन	P900	1446.770	0.5	0.072	
15				पासल	संरक्षित वन	P226	1248.140	0.5	0.062	
16				ईजानी	संरक्षित वन	P223	5196.470	0.5	0.260	
17				ईजानी	संरक्षित वन	P224	839.235	0.5	0.043	
18				ईजानी	संरक्षित वन	P225	2216.440	0.5	0.111	
19				टमकी	संरक्षित वन	P884	2025.500	0.5	0.101	
20				टमकी	संरक्षित वन	P885	1250.050	0.5	0.063	
संरक्षित वन भूमि का योग									0.992	
क्र.	जिला	प्रभावित वनमण्डल का नाम	तहसील का नाम	ग्राम का नाम	प्रभावित वनभूमि का प्रकार	खसरा क्र.	लम्बाई (मी.)	चौड़ाई (मी.)	रकबा (ह.)	
1	सूरजपुर	एलीफेंट रिजर्व, तमोर पिंगला अभ्यारण्य	ओड़गी	खोड़	राजस्व वन	1	193.229	0.5	0.010	
2				खोड़	राजस्व वन	7	89.170	0.5	0.004	
3				खोड़	राजस्व वन	9	97.952	0.5	0.005	
4				खोड़	राजस्व वन	11	113.967	0.5	0.005	
5				खोड़	राजस्व वन	714	58.685	0.5	0.003	
6				खोड़	राजस्व वन	716	91.946	0.5	0.006	
7				ईजानी	राजस्व वन	317	135.618	0.5	0.006	
राजस्व वन भूमि का योग									0.039	
कुल योग								29233.337 (29.233K.M.)	0.5	1.462

उक्त 29.33 कि.मी. लंबे तथा 0.50 मीटर चौड़े वन क्षेत्र कुल 1.462 हे. वन भूमि (आरक्षित वन भूमि 0.431 हे., संरक्षित वन भूमि 0.992 हे. एवं राजस्व वन भूमि 0.039 हे.) में भूमिगत ऑप्टिकल फायबर केबल बिछाने हेतु मेसर्स छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसायटी (चिप्स) रायपुर, छत्तीसगढ़ को वन भूमि उपयोग पर देने हेतु निम्नलिखित शर्तों के अधीन सैद्धांतिक स्वीकृति दी जाती है :-

- वन भूमि का वैधानिक स्वरूप अपरिवर्तित रहेगा ।
- (अ) वन विभाग द्वारा उपयोगकर्ता के खर्च पर पूर्व भानुप्रतापपुर वनमण्डल अंतर्गत प्रकरण में प्रस्तावित रकबा 1.462 हे. वन भूमि के एवज में वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु आवेदक संस्थान द्वारा पूर्व भानुप्रतापपुर वनमण्डल के अंतागढ़ परिक्षेत्र के ग्राम चाउरगांव में 2.967 हे. तथा ग्राम पोडगांव में 10.427 हे. कुल 13.394 हे. राजस्व भूमि में से समतुल्य राजस्व भूमि में क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण किया जायेगा ।
- (ब) उपरोक्त वन भूमि को 6 माह के अंदर नोडल अधिकारी द्वारा भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 29 के तहत संरक्षित वन या धारा-4 के तहत आरक्षित वन के रूप में अधिसूचित किया जाएगा ।
- उपयोगकर्ता वर्तमान मजदूरी दर से क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण की लागत राशि वन विभाग के पास पेशगी जमा करेंगे ताकि वृक्षारोपण किया जा सके ।
- (अ) संमादेश याचिका (सी) क्रमांक/202/1995 के अंतर्गत आई.ए.क्रमांक-566 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों दिनांक 30.10.2002, 01.08.2003, 28.03.2008, 24.04.2008 व 09.05.2008 के अनुसार तथा पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के पत्र क्रमांक 5-1/1998-एफ.सी. (पार्ट-II) दि.18.09.2003 के साथ इससे सम्बंधित पत्र क्रमांक 5-2/2006-एफ.सी. दिनांक 03.10.2006, पत्र क्रमांक 5-3/2007-एफ.सी. दिनांक 05.02.2009, तथा पत्र क्र. 5-3/2011-FC(Vol-I) दिनांक 06.01.2022 तथा पत्र क्रमांक 5-3/2011-FC(Vol-I) दिनांक 22.03.2022 के द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार वन विभाग उपयोगकर्ता अभिकरण से शुद्ध वर्तमान मूल्य (Net Present Value) वसूली जायेगी ।

- (ब) विशेषज्ञ समिति के प्रतिवेदन प्राप्त होने एवं उसे माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अंतिम रूप देने के पश्चात् यदि शुद्ध वर्तमान मूल्य के अतिरिक्त राशि देय होती है तो यह राशि वन विभाग द्वारा उपयोगकर्ता अभिकरण से वसूली जाएगी। उपयोगकर्ता अभिकरण इस आशय का वचन पत्र प्रस्तुत करेगा।
5. परियोजना के अंतर्गत उपयोगकर्ता अभिकरण से प्राप्त समस्त निधि को Compensatory Afforestation Fund (CAF) Chhattisgarh SB01025203 के कार्पोरेशन बैंक लोदी कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली – 110003 में स्थित खाता संख्या CAF 25203 में हस्तांतरित की जायेगी।
6. प्रस्ताव में उल्लेख के अनुरूप ऑप्टिकल फायबर केबल लाईन का मार्ग संरेखित किया जायेगा तथा मार्ग परिवर्तित नहीं किया जायेगा।
7. ऑप्टिकल फायबर केबल लाईन बिछाने हेतु वृक्ष नहीं काटे जायेंगे।
8. उपरोक्त लाईन बिछाने हेतु खन्ति की अधिकतम चौड़ाई 0.50 मीटर तथा गहराई 1.65 मीटर होगी। वन्यप्राणी तथा बायोडायर्सिटी को नुकसान न पहुंचें, इसे ध्यान में रखकर स्थानीय वनाधिकारी की निगरानी में खन्ति को खोदा तथा उपयोग उपरांत आवेदक द्वारा स्वयं के खर्चे पर खन्ति को भरकर समतल किया जावेगा। यदि उपरोक्त लाईन बिछाने हेतु Horizontal Directional Drilling method (HDD) पद्धति का उपयोग किया जाता है तो, उपयोग किये जाने वाली मरीन के परिवहन हेतु मौजूदा सड़क का उपयोग किया जायेगा तथा अन्य वन क्षेत्र का उपयोग प्रतिबंधित होगा। इस पद्धति के उपयोग में यह ध्यान रखा जाये कि वन क्षेत्र के पलोरा एवं फौना तथा Regeneration को क्षति न हो।
9. स्थल पर कार्य करने की तिथियों को आवेदनकर्ता द्वारा प्रभारी उप निदेशक, एलीफेंट रिजर्व/ वनमंडलाधिकारी को पूर्व से सूचित किया जाएगा, ताकि मौके पर वन विभाग के अधिकारियों के समक्ष कार्य हो सके तथा खोदे जा रही वनभूमि की क्षति को न्यूनतम रखा जा सके।
10. उपरोक्त लाईन, सड़क के किनारे तथा मौजूदा सड़क की चौड़ाई के अंतर्गत ही बिछाई जावेगी।
11. आवेदक संस्थान, उपयोग पश्चात्, उपयोग किये गये भूमि का उपयोग/रखरखाव के खर्चे को वहन करने हेतु, वचनबद्ध रहेगा।
12. आवेदक संस्थान, स्थानीय वन/पर्यावरण को होने वाली क्षति की पूर्ति के लिए वचनबद्ध रहेगा, अतः यथासंभव वन/पर्यावरण को संरक्षित रखेगा।
13. आवेदक संस्थान रखरखाव का कार्य करने के पूर्व वन विभाग से अनुमति प्राप्त करेगा।
14. वन भूमि का उपयोग प्रस्तावित कार्य के अतिरिक्त अन्य किसी कार्य के लिए नहीं किया जायेगा।
15. प्रधान मुख्य वन, संरक्षक (वन्यप्राणी) तथा अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) यह सुनिश्चित करेंगे कि, वनभूमि के हस्तांतरण से पूर्व, वन्यप्राणी संरक्षण अधिनियम 1927 के तहत उपयुक्त अनुमति, पर्यावरणीय अनुमति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पारम्परिक वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 सहित प्रस्तावित कार्य हेतु लागू होने वाले समस्त नियमों, विनियमों एवं दिशा निर्देशों एवं शर्तों का पालन किया जाएगा।
16. भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के दिशा निर्देश क्रमांक F.No. 6-175/2017 WL(pt), दिनांक 07.02.2023 में भारत सरकार द्वारा निर्धारित/अधिरोपित समस्त शर्तें लागू होंगी तथा आवेदक संस्थान उक्त शर्तों के पालन हेतु वचनबद्ध रहेगा।

17. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) नोडल अधिकारी (वन संरक्षण अधिनियम 1980) द्वारा प्रतिमाह की 5 तारीख के पूर्व राज्य शासन से जारी समस्त सामान्य अनुमोदन के प्रकरणों की रिपोर्ट, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, रायपुर को प्रेषित करेंगे।
18. बिना भारत सरकार की अनुमति के वन भूमि का उपयोग बदलना, वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लंघन माना जायेगा तथा भूमि उपयोग को यदि बदलने की आवश्यकता हो, तो आवेदक संस्थान इस हेतु अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) नोडल अधिकारी तथा राज्य शासन के माध्यम से भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, रायपुर द्वारा अधिरोपित अन्य किन्हीं शर्तों के पालन हेतु आवेदक संस्थान बाध्य होगा।
19. क्षेत्र के वनस्पति एवं वन्यजीव (Flora & Fauna) तथा पर्यावरण के संरक्षण / विकास हेतु समय-समय पर राज्य शासन या भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, रायपुर द्वारा अधिरोपित अन्य किन्हीं शर्तों के पालन हेतु आवेदक संस्थान बाध्य होगा।
20. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) यह सुनिश्चित करेंगे कि, प्रस्तावित कार्य के क्रियान्वयन में वन्यप्राणी संरक्षण से संबंधित कोई भी नियम/अधिनियम का उल्लंघन न हो।
21. सूर्योदय से पहले एवं सूर्यास्त के पश्चात ऑप्टिकल फायबर केबल बिछाये जाने के कार्य करने की अनुमति नहीं होगी।
22. संरक्षित क्षेत्र के अंदर जलाऊ लकड़ी का संग्रहण नहीं किया जावेगा तथा कोई ऐसी गतिविधि संचालित नहीं की जायेगी जिससे वन्यप्राणियों के लिए प्रतिकूल परिस्थितियां निर्मित हो।
23. मशीनों का उपयोग सही प्रकार से किया जावेगा जिससे वन्यप्राणियों पर विपरीत प्रभाव न पड़े तथा जैव विविधता को नुकसान न हो।
24. आवेदक संस्था द्वारा वन्यप्राणी संरक्षण अधिनियम 1972, वन संरक्षण अधिनियम 1980 तथा भारतीय वन अधिनियम 1927 के नियमों का पालन किया जायेगा। ऑप्टिकल फायबर केबल बिछाये जाने के कार्य में इस्तेमाल हो रहे मलबा, उपकरण आदि संरक्षित क्षेत्र के अंदर नहीं छोड़े जावेंगे।
25. कार्य के समय इस्तेमाल किये जाने वाले मशीनों एवं उपकरणों से किसी प्रकार का तेज ध्वनि उत्पन्न न हो जिससे की वन्यप्राणियों एवं उनके रहवास में बाधा हो यह सुनिश्चित करें।
26. आवेदक संस्थान किसी भी स्थिति में भारत सरकार की पूर्वानुमति के बिना, व्यपवर्तित वन भूमि को किसी भी अन्य संस्थान/विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तांतरित नहीं करेगा।
27. Adequate mitigation measures should be put in place for protection and conservation of wildlife.
28. Care should be taken that no natural drainage gets obstructed by implementation of the project. Adequate water passageways need to be provided wherever applicable.
29. No labor camp should be constructed within the Elephant Reserve or forest area.

30. Special care should be taken to ensure that the animal movement is not restricted due to the construction work.

उपरोक्त शर्तों में प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) से संबंधित शर्तों का पालन प्रतिवेदन प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) से प्राप्त कर अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) द्वारा उपरोक्त समस्त शर्तों की पूर्ति का पालन प्रतिवेदन राज्य शासन को प्रेषित करेगें जिसके पश्चात् इस प्रकरण में वन संरक्षण अधिनियम 1980 की धारा-2 के अंतर्गत औपचारिक अनुमोदन इस विभाग द्वारा प्रदान किया जायेगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम
से तथा आदेशानुसार,

(के.पी.राजपूत)

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन,

वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग
नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 19/12/2023

पृष्ठांक/एफ 5-37/2023/10-2

प्रतिलिपि :-

1.वनमहानिदेशक, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इंदिरा पर्यावरण भवन, जोर बाग अलीगंज रोड, नई दिल्ली - 110003 की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।

2.वनमहानिरीक्षक (वन्यप्राणीखण्ड), भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इंदिरा पर्यावरण भवन, जोर बाग अलीगंज रोड, नई दिल्ली - 110003 की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।

3.वनमहानिरीक्षक, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, अरण्य भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, छत्तीसगढ़ की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।

4.अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध), कार्यालय, प्रधान मुख्य वन संरक्षक, अरण्य भवन, सेक्टर-19, नार्थ ब्लॉक, नवा रायपुर, अटल नगर छत्तीसगढ़।

5.मुख्य वन संरक्षक, सरगुजा वृत्त, अंबिकापुर छत्तीसगढ़।

6.वन संरक्षक (वन्यप्राणी) एवं क्षेत्रीय संचालक एलीफेंट रिजर्व, सरगुजा, अंबिकापुर, छत्तीसगढ़।

7.उप निदेशक, एलीफेंट रिजर्व, सरगुजा, अंबिकापुर, छत्तीसगढ़।

8.आवेदनकर्ता, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसायटी (चिप्स), स्टेट डाटा सेंटर बिल्डिंग, सिविल लाईन, रायपुर, छत्तीसगढ़।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

१८८३८-

अवर सचिव १५.१२.२०२३


छत्तीसगढ़ शासन,
वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

प्रधान
का
(A)

20/12

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध)

छत्तीसगढ़, रायपुर



કાર્યાલય ઉપ નિદેશક એલીફેંટ રિજર્વ સરગુજા અમ્બિકાપુર (૪૦૦૪૦)

Phone (07774) – 240987

Email id :dders2014@gmail.com

क्रमांक / मा.चि. / 2024 / 162

अम्बिकापुर, दिनांक 12 / 01 / 2024

प्रति,

मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसायटी (चिप्स)
स्टेट डॉटा सेंटर बिल्डिंग, सिविल लाईन, रायपुर (छ0ग0)

विषय :-

आवेदनकर्ता मेसर्स छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसायटी (चिप्स) रायपुर द्वारा सूरजपुर जिले के सरगुजा वनमण्डल अंतर्गत एलीफेन्ट रिजर्व तमोर पिंगला अभ्यारण्य क्षेत्र अंतर्गत भारत नेट प्रोजेक्ट Phase-II के तहत भूमिगत ऑप्टिकल फायबर केबल बिछाने के गैर वानिकी कार्य हेतु कुल 1.462 हैं। वनभूमि के वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत व्यपवर्तन बाबत।।

संदर्भ :- 1- छत्तीसगढ़ शासन, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग मंत्रालय का पत्र क्रमांक/एफ 5-37 /2023 10-2 दिनॉक 19.12.2023 |
 2- प्र०मु०व०सं० एवं वनबल प्रमुख, छत्तीसगढ़ का पत्र क्र०/भू-प्रबंध/विविध-ए/ 115-852/60 नवा रायपुर दिनॉक 08.01.2023 |
 3- वनसंरक्षक (वन्यप्राणी) एवं क्षेत्र संचालक (एलीफेंट रिजर्व सरगुजा) का पत्र क्रमांक/मा.चि/ 2024/118 अधिकापुर दिनांक 10.01.2024
 4- वनसंरक्षक (वन्यप्राणी) एवं क्षेत्र संचालक (एलीफेंट रिजर्व सरगुजा) का पत्र क्रमांक/मा.चि/ 2024/140 अधिकापुर दिनांक 12.01.2024

—00—

उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित पत्र के निर्देशनुसार छत्तीसगढ़ शासन, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग मंत्रालय द्वारा एलीफेन्ट रिजर्व सरगुजा अंतर्गत तमोर पिंगला आधारण्य क्षेत्र के गेमरेंज खोड़ अंतर्गत भूमिगत ऑप्टिकल फायबर केबल बिछाने के गैर वानिकी कार्य हेतु कुल 1,462 हे. वनभूमि के वन रांखण अधिनियम 1980 के तहत व्यपवर्तन निर्धारित शर्तों के अधीन प्रकरण में (प्रथम चरण) (सैद्धांतिक) स्वीकृति जारी की गई है।

शर्त क्रमांक 4 (अ) के अनुसार समादेश याचिका (सी) क्रमांक/202/1995/ के अंतर्गत आई.ए.क्रमांक-566 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों दिनांक 30.10.2002, 01.08.2003, 28.03.2008, 24.04.2008, व 09.05.2008 के अनुसार तथा पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के पत्र क्रमांक 5-1/1998-एफ.सी. (पार्ट-II) दिनांक 18.03.2003 के साथ इससे संबंधित पत्र क्रमांक 5-2/2006-एफ.सी. दिनांक 03.10.2006, पत्र क्रमांक 5-3/2007-एफ.सी. दिनांक 05.02.2009 तथा पत्र क्रमांक 5-3/2011-FC(Vol-I) . दिनांक 06.01.2022 तथा पत्र क्रमांक 5-3/2011-FC(Vol-I) . दिनांक 22.03.2022 के द्वारा जारी जारी दिशा निर्देशों के अनुसार वन विभाग उपयोगकर्ता अभिकरण से शुद्ध वर्तमान मूल्य (Net Present Value) वसूली जाएगी।

शर्त क्रमांक 4 (ब) के अनुसार विशेषज्ञ समिति के प्रतिवेदन प्राप्त होने एवं उसे माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अंतिम रूप देने के पश्चात यदि शुद्ध वर्तमान मूल्य के अतिरिक्त राशि देय होती है तो यह राशि वन विभाग द्वारा उपयोगकर्ता अभिकरण से वसली जाएगी। उपयोगकर्ता अभिकरण इस आशय का वचन पत्र प्रस्तुत करेगा।

आमंकरण से वसूला जाइना। उपरोक्त कानून के अनुसार शर्त क्रमांक 16 भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के दिशा निर्देश क्रमांक F.No. 6-175/2017 WL(pt), दिनांक 07.02.2023 में भारत सरकार द्वारा निर्धारित/अधिरोपित समर्त शर्तें लागू होंगी तथा आवेदक संस्थान उक्त शर्तों के पालन हेतु बचनबद्ध रहेगा।

आवदक संस्थान उत्तर शता के पाला हुए पर्यावरण के अधिनियम 1980 का उल्लंघन माना जायेगा तथा भूमि उपयोग को यदि बदलने की आवश्यकता हो तो आवेदक संस्थान इस हेतु अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (भू-प्रबंध) नोडल अधिकारी तथा राज्य शासन के माध्यम से भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, रायपुर को निवेदन करेंगे।

एकाकृत क्षेत्राय परामर्श, रानुका, १०००५
 अतः प्रस्तावित क्षेत्र का वर्तमान शुद्ध प्रत्याशा मूल्य (N.P.V.) गणना पत्रक अनुसार एवं क्षतिपूर्ति वैकल्पिक वृक्षारोपण की राशि का विवरण निम्नानुसार है (जो संदर्भित पत्र क्रमांक ०१ में उल्लेखित शर्तों एवं वन (संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम १९८० के नियमों के अधीन शासित होगा) :-

Santosh, Memo/2023

1

12/01/24

61

क्र.	विषय	रकबा (हे.)	देय राशि रूपये (लाख में)	जमा राशि रूपये (लाख में)	शेष देय राशि रूपये (लाख में)
1	अभ्यारण्य क्षेत्र के लिए शुद्ध प्रत्याशा मूल्य (1357110 X 5 = 6785550 प्रति हे.) इको क्लास दर अनुसार	1.462	99,20,474.10	00	99,20,474.10
2	राज्य कैम्पा के अंतर्गत व्यपवर्तित वन भूमि के बदले में समतुल्य राजस्व वनभूमि में वैकल्पिक वृक्षारोपण कार्य (वैकल्पिक वृक्षारोपण कार्य की राशि वर्ष 2023-24 हेतु 9,66,666=00 प्रति हे0 के मान से लागू)	1.462	14,13,265.692	00	14,13,265.692
	योग :-		1,13,33,739.792	00	1,13,33,739.792
			या 1,13,33,740.00/- (एक करोड़ तेरह लाख तीन सौ चालीस रु मात्र.)		

(टीप:- तालिका के विंदु क्रमांक 01 में शुद्ध प्रत्याशा मूल्य (N.P.V.) हेतु गणना पत्रक में ईको क्लास III के नाम्स अनुसार very dense forest के प्रत्याशा मूल्य रु. 13,57,110=00 प्रति हे0 के मान से गणना की गई है एवं अभ्यारण्य क्षेत्र होने के कारण शुद्ध प्रत्याशा मूल्य (N.P.V.) के पाँच गुना राशि आवेदक संस्थान द्वारा देय होगी।

तालिका के विंदु क्रमांक 02 में आवेदक संस्थान द्वारा उपयोगकर्ता संस्था के खर्च पर पूर्व भानुप्रतापपुर वनमंडल अंतर्गत प्रकरण में प्रस्तावित रकबा 1.462 हे0 के ऐवज में वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु आवेदक संस्थान द्वारा पूर्व भानुप्रतापपुर के अंतागढ़ परिक्षेत्र के ग्राम चाउरगाँव में 2.967 हे0 तथा पोड़गाँव में 10.427 हे0 कुल 13.394 हे0 राजस्व भूमि में से समतुल्य राजस्व भूमि में क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण किये जाने संबंध में लेख है। अतः केवल समतुल्य क्षेत्र हेतु ही CA राशि का प्रस्ताव दिया गया है। पत्र क्रमांक एफ 5-37 / 2023 / 10-2 नवा रायपुर अटल नगर दिनांक 19.12.2023 में उल्लेखित एवं निर्देशानुसार)

अतः निर्देशित है कि शुद्ध प्रत्याशा मूल्य की राशि एवं क्षतिपूर्ति वैकल्पिक वृक्षारोपण की राशि 1,13,33,740.00/- (एक करोड़ तेरह लाख तीन सौ चालीस मात्र) Compaensatory Afforestation Fund (CAF) Chhattisgarh SB01025203 के कार्पोरेशन बैंक लोदी कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली- 110003 में स्थित खाता संख्या CAF 25203 में हस्तांतरित कर ई चालान के माध्यम से कैम्पा खाता में अदिलम्ब जमा करें तथा जमा राशि की मूल प्रति इस कार्यालय में प्रेषित करना सुनिश्चित करें, साथ ही छ0ग0 शासन वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा जारी प्रथम चरण की सैद्धांतिक स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत करें।

(यदि शासन के नियमानुसार उक्त राशि में (N.P.V. एवं CA राशि) किसी भी प्रकार का अंतर अथवा परिवर्तन होता है तो उक्त अंतर की राशि आपकी संस्था द्वारा संबंधित खाते में जमा किया जाना अनिवार्य होगा।) (210124)
उपनिदेशक

एलीफेन्टरिजर्वसरगुजा
अम्बिकापुर छ0ग0
अम्बिकापुर, दिनांक 12/01/2024

क्रमांक/मा.चि./ 2024 / 163

- प्रतिलिपि :-
- प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यप्राणी) छत्तीसगढ़, रायपुर की ओर सूचनार्थ सादर सम्प्रेषित।
 - अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (भू प्रबंध) छ0ग0 रायपुर को संदर्भित पत्र के तारतम्य में सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
 - मुख्य वनसंरक्षक सरगुजा वन वृत्त, अम्बिकापुर की ओर सूचनार्थ सादर सम्प्रेषित एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर सम्प्रेषित।
 - वनसंरक्षक (व0प्रा0) सरगुजा वनवृत्त अम्बिकापुर छ0ग0 को सूचनार्थ सादर सम्प्रेषित।

(210124)
उपनिदेशक
एलीफेन्टरिजर्वसरगुजा
अम्बिकापुर छ0ग0

वन संरक्षण अधिनियम अंतर्गत प्रत्याशा मूल्य (N.P.V.) की राशि का गणना पत्रक

का पंजीयन क्रमांक :- /FP/CG/OFC/43274/2019

प्रकरण का नाम :- ऑप्टिकल फायबर केबल बिछाने हेतु

वनवृत्त :- सरगुजा वनवृत्त अभिकापुर (वन्यप्राणी)

वनमण्डल :- एलीफेन्ट रिजर्व सरगुजा अभिकापुर

वनभूमि आरक्षित वन कक्ष क्रमांक - 909,910, 911, 914, 928, 929, 879, 880
882,

कुल आवेदित वनभूमि :- 1.462 हे.

कोर्डिनेट

संरक्षित वन कक्ष क्रमांक - P227, P228, P897, P899, P900, P226
P223, P224, P225, P884, P885

भूमि का प्रकार	वनों का प्रकार (चैम्पयन एवं सेठ वार्डांकरण के अनुसार)	कुल क्षेत्र	बहुत सधन वन (हे.)	प्रत्याशा मूल्य की दर (रु.) (1357110 X 5)	नियत ईको (Eco Class) विभिन्न घनत्व श्रेणी अंतर्गत क्षेत्रफल							कुल क्षेत्र ईको वलास (हे.) (4+7+10)	कुल प्रत्याशा मूल्य (रु.) (6+9+12)	
					Starting Point	Longitude	Middle Point	End Point	नारंगी वनक्षेत्र कक्ष क्रमांक :-	राजस्व वनक्षेत्र खसरा क्रमांक :- 1,7,9,11,714,716,317	आवेदक संख्या :- संयुक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी	इन्फोटेक प्रनोशन सोसाइटी (चिप्स) रायपुर (छ0ग0)		
1	Reserve Forest (आरक्षित वन)	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Protected Forest (संरक्षित वन)	III	0.431	0.431	6785550	2924572	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.431	2924572
Undemarcated Forest Orange Area (नारंगी क्षेत्र)	-"-	-	-	-	6731265	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.992	6731265
Revenue Forest Land (राजस्व वन क्षेत्र)	III	0.039	0.039	6785550	264636	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-
कुल (अ)			1.462	13571100	9920473	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.039	264636
हुल प्रत्याशा मूल्य की देय राशि (समस्त कार्यों हेतु) रु. 9920473/- निवान्दे लाख बीस हजार चार रुपैयां तिहातर)													1.462	9920473

प्रमाणित किया जाता है कि उपर दर्शित ईको वलास, वनों का घनत्व एवं
प्रत्याशा मूल्य की गणना सही है।

मानविकार शाखा प्रभारी
के हस्ताक्षर

संलग्न अधिकारी/अधीक्षक के हस्ताक्षर

उपनिदेशक
एलीफेन्ट रिजर्व सरगुजा
अभिकापुर (छ0ग0)

मेरे द्वारा पुनः जांचा गया एवं उपर दर्शित ईको वलास वनों
का घनत्व एवं प्रत्याशा मूल्य की गणना सही है।

अनुमोदि
वनसंरक्षक (पदप्राप्त)
सरगुजा वनवृत्त अभिकापुर



कार्यालय चिप्स
स्टेट डाटा सेंटर भवन, सिविल लाईन्स रायपुर, छत्तीसगढ़
फोन नं. 0771-4014158 फैक्स नं. 0771-4066205

अनुलग्नक -1

वचन पत्र

छत्तीसगढ़ शासन, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग का पत्र क्रमांक/एफ-5-37/2022/10-2
दिनांक 19/12/2023 द्वारा प्रदायित सैद्धांतिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्त क्र.-1:

वन भूमि का वैधानिक स्वरूप अपरिवर्तित रहेगा।

छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसाइटी (चिप्स), रायपुर, छत्तीसगढ़ उक्त अधिरोपित शर्त को मान्य करने हेतु वचनबद्ध है।

संयुक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी
छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसाइटी (चिप्स)
रायपुर छत्तीसगढ़





कार्यालय चिप्स
स्टेट डाटा सेंटर भवन, सिविल लाईन्स रायपुर, छत्तीसगढ़
फोन नं. 0771-4014158 फैक्स नं. 0771-4066205

अनुलग्नक -2

वचन पत्र

छत्तीसगढ़ शासन, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग का पत्र क्रमांक/एफ-5-37/2022/10-2
दिनांक 19/12/2023 द्वारा प्रदायित सैद्धांतिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्त क्र.-2

- (अ) वन विभाग द्वारा उपयोगकर्ता के खर्च पर पूर्व भानुप्रतापपुर वनमंडल अंतर्गत प्रकरण में प्रस्तावित रकमा 1.462 हे. वन भूमि के एवज में वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु आवेदक संस्थान द्वारा पूर्व भानुप्रतापपुर वनमंडल के अंतागढ़ परिक्षेत्र के ग्राम चाउरगांव में 2.967 हे, तथा ग्राम पोडगांव में 10.427 हे. कुल 13.394 हे. राजस्व भूमि में से समतुल्य राजस्व भूमि में क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण किया जायेगा।
- (ब) उपरोक्त वन भूमि को 6 माह के अंदर नोडल अधिकारी द्वारा भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 29 के तहत संरक्षित वन या धारा-4 के तहत आरक्षित वन के रूप में अधिसूचित किया जाएगा।

छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसाइटी (चिप्स), रायपुर, छत्तीसगढ़ उक्त अधिरोपित शर्त से सहमत है।

१८१
संयुक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी
छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसाइटी (चिप्स)
रायपुर छत्तीसगढ़





कार्यालय चिप्स
स्टेट डाटा सेंटर भवन, सिविल लाईन्स रायपुर, छत्तीसगढ़
फोन नं. 0771-4014158 फैक्स नं. 0771-4066205

अनुलग्नक -3

वचन पत्र

छत्तीसगढ़ शासन, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग का पत्र क्रमांक/एफ-5-37/2021/10-
दिनांक 19/12/2023 द्वारा प्रदायित सैद्धांतिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्त क्र.-3:

उपयोगकर्ता वर्तमान मजदूरी दर से क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण की लागत राशि वन विभाग के पास पेशगी जमा करेंगे ताकि वृक्षारोपण किया जा सके।

उपरोक्त शर्त के पालन में वर्तमान दर से क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण की लागत राशि ₹. 14,13,265.69 दिनांक 16/01/2024 को कैम्पा मद मे जमा किया गया है। जिसका यूटी.आर. नंबर INDBR323024011600674928 है।

१८८
संयुक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी
छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसाइटी (चिप्स)
रायपुर छत्तीसगढ़





कार्यालय चिप्स
स्टेट डाटा सेंटर भवन, सिविल लाईंस रायपुर, छत्तीसगढ़
फोन नं. 0771-4014158 फैक्स नं. 0771-4066205

अनुलग्नक -4 (अ)

वचन पत्र

छत्तीसगढ़ शासन, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग का पत्र क्रमांक/एफ-5-37/2022/10-2
दिनांक 19/12/2023 द्वारा प्रदायित सैद्धांतिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्त क्र.-4 (अ):

(अ) समादेश याचिका (सी) क्रमांक/202/1995 के अंतर्गत आई.ए. क्रमांक-566 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों दिनांक 30.10.2002, 01.08.2003, 28.03.2008, 24.04.2008 व 09.05.2008 के अनुसार तथा पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के पत्र क्रमांक 5-1/1998-एफ.सी. (पार्ट-11) दिनांक 18.09. 2003 के साथ इससे सम्बंधित पत्र क्रमांक 5-2/2006-एफ.सी. दिनांक 03.10.2006, पत्र क्रमांक 5-3/2007-एफ.सी. दिनांक 05. 02.2009, तथा पत्र क्र. 5-3/2011-FC (Vol-1) दिनांक 06.01.2022 तथा पत्र क्रमांक 5-3/2011-FC (Vol-1) दिनांक 22.03.2022 के द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार वन विभाग उपयोगकर्ता अभिकरण से शुद्ध वर्तमान मूल्य (Net Present Value) वसूली जायेगी।

उपरोक्त शर्त के पालन मे शुद्ध वर्तमान मूल्य (Net Present Value) की राशि रु. 9920747.10 दिनांक 16/01/2024 को कैम्पा मद मे जमा किया गया है। जिसका यूटी.आर. नंबर INDBR323024011600674928 है।

संयुक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी
छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसाइटी (चिप्स)
रायपुर छत्तीसगढ़





कार्यालय चिप्स
स्टेट डाटा सेंटर भवन, सिविल लाईन्स रायपुर, छत्तीसगढ़
फोन नं. 0771-4014158 फैक्स नं. 0771-4066205

अनुलग्नक -4(ब)

वचन पत्र

छत्तीसगढ़ शासन, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग का पत्र क्रमांक/एफ-5-37/2022/10-2
दिनांक 19/12/2023 द्वारा प्रदायित सेद्धांतिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्त क्र.-4(ब) :

(ब) विशेषज्ञ सगिति के प्रतिवेदन प्राप्त होने एवं उसे माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अंतिम रूप देने के पश्चात् यदि शुद्ध वर्तमान मूल्य के अतिरिक्त राशि देय होती है तो यह राशि वन विभाग द्वारा उपयोगकर्ता अभिकरण से वसूली जाएगी। उपयोगकर्ता अभिकरण इस आशय का वचन पत्र प्रस्तुत करेगा।

छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसाइटी (चिप्स), रायपुर, छत्तीसगढ़ उक्त अधिरोपित शर्त को मान्य करने हेतु वचनबद्ध है।

Q21
संयुक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी
छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसाइटी (चिप्स)
रायपुर छत्तीसगढ़





कार्यालय चिप्स
स्टेट डाटा सेंटर भवन, सिविल लाईन्स रायपुर, छत्तीसगढ़
फोन नं. 0771-4014158 फैक्स नं. 0771-4066205

अनुलग्नक -5

वचन पत्र

छत्तीसगढ़ शासन, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग का पत्र क्रमांक /एफ-5-37/2022/10-2
दिनांक 19/12/2023 द्वारा प्रदायित सैद्धांतिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्त क्र.-5:

परियोजना के अंतर्गत उपयोगकर्ता अभिकरण से प्राप्त समस्त निधि को **Compensatory Afforestation Fund (CAF) Chhattisgarh SB01025203** के कार्पोरेशन बैंक लोदी कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली 110003 में स्थित खाता संख्या **CAF 25203** में हस्तांतरित की जायेगी।

उपरोक्त शर्त के पालन मे वर्तमान दर से क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण की लागत राशि रु. 14,13,265.69 एवं शुद्ध वर्तमान मूल्य (Net Present Value) की राशि रु. 9920747.10 कुल राशि रु. 1,13,33,740.00 दिनांक 16/01/2024 को कैम्पा मद मे जमा किया गया है। जिसका यूटी.आर. नंबर INDBR323024011600674928 है। (संलग्न)

संयुक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी
छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसाइटी (चिप्स)
रायपुर छत्तीसगढ़



Payment Details & UTR No.									
#	Proposal Name	Registration no.	Challan Application No.	In favour Of Name	Bank Account No.	IFSC Code	Amount	UTR No.	Date
1	Elephant Reserve Ambikapur	FP/CG/OFC/43274/20 19	7143274624	CHHATTISGARH CAMPA	150647143274624	UBIN0996335	1,13,33,740.00	INDBR32024011600674928	16.01.2024




Manager (Finance)
 Chhattisgarh Infotech and
 Biotech Promotion Society
 (CHIPS), Raipur - 492001



कार्यालय चिप्स
स्टेट डाटा सेंटर भवन, सिविल लाईन्स रायपुर, छत्तीसगढ़
फोन नं. 0771-4014158 फैक्स नं. 0771-4066205


अनुलग्नक -6

वचन पत्र

छत्तीसगढ़ शासन, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग का पत्र क्रमांक /एफ-5-37/2022/10-2
दिनांक 19/12/2023 द्वारा प्रदायित सैद्धांतिक स्वीकृति में अधिरोपित क्र.-6:

प्रस्ताव में उल्लेख के अनुरूप ऑप्टिकल फायबर केबल लाईन का मार्ग संरेखित किया जायेगा तथा मार्ग परिवर्तित नहीं किया जायेगा ।

छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसाइटी (चिप्स), रायपुर, छत्तीसगढ़ उक्त अधिरोपित शर्त को मान्य करने हेतु वचनबद्ध है।


संयुक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी
छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसाइटी (चिप्स)
रायपुर छत्तीसगढ़





कार्यालय चिप्स
स्टेट डाटा सेंटर भवन, सिविल लाईन्स रायपुर, छत्तीसगढ़
फोन नं. 0771-4014158 फैक्स नं. 0771-4066205

अनुलग्नक -7

वचन पत्र

छत्तीसगढ़ शासन, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग का पत्र क्रमांक /एफ-5-37/2022/10-2
दिनांक 19/12/2023 द्वारा प्रदायित सैद्धांतिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्त क्र.-7:

ऑप्टिकल फायबर केबल लाइन बिछाने हेतु वृक्ष नहीं काटे जायेंगे।

छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसाइटी (चिप्स), रायपुर, छत्तीसगढ़ उक्त अधिरोपित शर्त को मान्य करने हेतु वचनबद्ध है।

संयुक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी
छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसाइटी (चिप्स)
रायपुर छत्तीसगढ़





कार्यालय चिप्स
स्टेट डाटा सेंटर भवन, सिविल लाईन्स रायपुर, छत्तीसगढ़
फोन नं. 0771-4014158 फैक्स नं. 0771-4066205

अनुलग्नक -8

वचन पत्र

छत्तीसगढ़ शासन, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग का पत्र क्रमांक /एफ-5-37/2022/10-2
दिनांक 19/12/2023 द्वारा प्रदायित सैद्धांतिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्त क्र.-8:

उपरोक्त लाइन बिछाने हेतु खन्नि की अधिकतम चौड़ाई 0.50 मीटर तथा गहराई 1.65 मीटर होगी। वन्यप्राणी तथा बायोडायवर्सिटी को नुकसान न पहुंचें, इसे ध्यान में रखकर स्थानीय वनाधिकारी की निगरानी में खन्नि को खोदा तथा उपयोग उपरांत आवेदक द्वारा स्वयं के खर्च पर खन्नि को भरकर समतल किया जावेगा। यदि उपरोक्त लाइन बिछाने हेतु Horizontal Directional Drilling method (HDD) पद्धति का उपयोग किया जाता है तो, उपयोग किये जाने वाली मशीन के परिवहन हेतु मौजूदा सड़क का उपयोग किया जायेगा तथा अन्य वन क्षेत्र का उपयोग प्रतिबंधित होगा। इस पद्धति के उपयोग में यह ध्यान रखा जाये कि वन क्षेत्र के पलोरा एवं फौना तथा Regeneration को क्षति न हो।

छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसाइटी (चिप्स), रायपुर, छत्तीसगढ़ उक्त अधिरोपित शर्त को मान्य करने हेतु वचनबद्ध है।

(Signature)

संयुक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी

छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसाइटी (चिप्स)

रायपुर





कार्यालय चिप्स
स्टेट डाटा सेंटर भवन, सिविल लाईंस रायपुर, छत्तीसगढ़
फोन नं. 0771-4014158 फैक्स नं. 0771-4066205

अनुलग्नक -9

वचन पत्र

छत्तीसगढ़ शासन, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग का पत्र क्रमांक /एफ-5-37/2022/10-
दिनांक 19/12/2023 द्वारा प्रदायित सैद्धांतिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्त क्र.-9:

स्थल पर कार्य करने की तिथियों को आवेदनकर्ता द्वारा प्रभारी उपनिदेशक, एलिफेंट रिवर्ज/वनमंडलाधिकारी को पूर्व से सूचित किया जाएगा, ताकि भौके पर वन विभाग के अधिकारियों के समक्ष कार्य हो सके तथा खोदे जा रही वनभूमि की क्षति को न्यूनतम रखा जा सके।

छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसाइटी (चिप्स), रायपुर, छत्तीसगढ़ उक्त अधिरोपित शर्त को मान्य करने हेतु वचनबद्ध है।

P.D.
संयुक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी
छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसाइटी (चिप्स)
रायपुर छत्तीसगढ़





कार्यालय चिप्स
स्टेट डाटा सेंटर भवन, सिविल लाईन्स रायपुर, छत्तीसगढ़
फोन नं. 0771-4014158 फैक्स नं. 0771-4066205

अनुलग्नक -10

वचन पत्र

छत्तीसगढ़ शासन, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग का पत्र क्रमांक /एफ-5-37/2022/10-2
दिनांक 19/12/2023 द्वारा प्रदायित सैद्धांतिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्त क्र.-10:

उपरोक्त लाइन, सड़क के किनारे तथा मौजूदा सड़क की चौड़ाई के अंतर्गत ही बिछाई जावेगी।

छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसाइटी (चिप्स), रायपुर, छत्तीसगढ़ उक्त अधिरोपित शर्त को मान्य करने हेतु
वचनबद्ध है।

संयुक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी
छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसाइटी (चिप्स)
रायपुर छत्तीसगढ़





कार्यालय चिप्स
स्टेट डाटा सेंटर भवन, सिविल लाईन्स रायपुर, छत्तीसगढ़
फोन नं. 0771-4014158 फैक्स नं. 0771-4066205

अनुलग्नक -11

वचन पत्र

छत्तीसगढ़ शासन, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग का पत्र क्रमांक /एफ-5-37/2022/10-2
दिनांक 19/12/2023 द्वारा प्रदायित सैद्धांतिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्त क्र.-11:

आवेदक संस्थान, उपयोग पश्चात, उपयोग किये गये भूमि का उपयोग /रखरखाव के खर्च को वहन करने हेतु,
वचनबद्ध रहेगा।

छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसाइटी (चिप्स), रायपुर, छत्तीसगढ़ उक्त अधिरोपित शर्त को मान्य करने हेतु
वचनबद्ध है।

संयुक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी
छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसाइटी (चिप्स)
रायपुर छत्तीसगढ़





कार्यालय चिप्स
स्टेट डाटा सेंटर भवन, सिविल लाईन्स रायपुर, छत्तीसगढ़
फोन नं. 0771-4014158 फैक्स नं. 0771-4066205

अनुलग्नक -12

वचन पत्र

छत्तीसगढ़ शासन, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग का पत्र क्रमांक /एफ-5-37/2022/10-
दिनांक 19/12/2023 द्वारा प्रदायित सैद्धांतिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्त क्र.-12:

आवेदक संस्थान, स्थानीय वन/पर्यावरण को होने वाली क्षति की पूर्ति के लिए वचनबद्ध रहेगा, अतः यथासंभव वन/पर्यावरण को संरक्षित रखेगा।

छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसाइटी (चिप्स), रायपुर, छत्तीसगढ़ उक्त अधिरोपित शर्त को मान्य करने हेतु वचनबद्ध है।

५२५

संयुक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी
छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसाइटी (चिप्स)
रायपुर छत्तीसगढ़





कार्यालय चिप्स
स्टेट डाटा सेंटर भवन, सिविल लाईन्स रायपुर, छत्तीसगढ़
फोन नं. 0771-4014158 फैक्स नं. 0771-4066205

अनुलग्नक -13

वचन पत्र

छत्तीसगढ़ शासन, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग का पत्र क्रमांक /एफ-5-37 /2022 /10-2
दिनांक 19/12/2023 द्वारा प्रदायित सैद्धांतिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्त क्र.-13:

आवेदक संस्थान रखरखाय का कार्य करने के पूर्व वन विभाग से अनुमति प्राप्त करेगा।

छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसाइटी (चिप्स), रायपुर, छत्तीसगढ़ उक्त अधिरोपित शर्त को मान्य करने हेतु
वचनबद्ध है।

(Signature)
संयुक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी
छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसाइटी (चिप्स)





कार्यालय चिप्स
स्टेट डाटा सेंटर भवन, सिविल लाईन्स रायपुर, छत्तीसगढ़
फोन नं. 0771-4014158 फैक्स नं. 0771-4066205

अनुलग्नक -14

वचन पत्र

छत्तीसगढ़ शासन, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग का पत्र क्रमांक /एफ-5-37/2022/10-2
दिनांक 19/12/2023 द्वारा प्रदायित सेक्षणातिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्त क्र.-14:

वन भूमि का उपयोग प्रस्तावित कार्य के अतिरिक्त अन्य किसी कार्य के लिए नहीं किया जायेगा।

छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसाइटी (चिप्स), रायपुर, छत्तीसगढ़ उक्त अधिरोपित शर्त को मान्य करने हेतु वचनबद्ध है।

संयुक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी
छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसाइटी (चिप्स)
रायपुर छत्तीसगढ़





कार्यालय चिप्स
स्टेट डाटा सेंटर भवन, सिविल लाईन्स रायपुर, छत्तीसगढ़
फोन नं. 0771-4014158 फैक्स नं. 0771-4066205

अनुलग्नक -15

वचन पत्र

छत्तीसगढ़ शासन, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग का पत्र क्रमांक/एफ-5-37/2022/10-2
दिनांक 19/12/2023 द्वारा प्रदायित सैद्धांतिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्त क्र.-15:

प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) तथा अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) यह सुनिश्चित करेंगे कि, वनभूमि के हस्तांतरण से पूर्व, वन्यप्राणी संरक्षण अधिनियम 1927 के तहत उपयुक्त अनुमति, पर्यावरणीय अनुमति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पारम्परिक वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 सहित प्रस्तावित कार्य हेतु लागू होने वाले समस्त नियमों, विनियमों एवं दिशा निर्देशों एवं शर्तों का पालन किया जाएगा।

छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसाइटी (चिप्स), रायपुर, छत्तीसगढ़ उक्त अधिरोपित शर्त से सहमत है।

संयुक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी
छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसाइटी (चिप्स)

रायपुर छत्तीसगढ़





कार्यालय चिप्स
स्टेट डाटा सेंटर भवन, सिविल लाईन्स रायपुर, छत्तीसगढ़
फोन नं. 0771-4014158 फैक्स नं. 0771-4066205

अनुलग्नक -16

वचन पत्र

छत्तीसगढ़ शासन, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग का पत्र क्रमांक /एफ-5-37 /2022 /10-2
दिनांक 19/12/2023 द्वारा प्रदायित सैद्धांतिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्त क्र.-16:

भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के दिशा निर्देश क्रमांक F.No.6-175/2017 WL(pt), दिनांक 07.02.2023 में भारत सरकार द्वारा निर्धारित/अधिरोपित समस्त शर्त लागू होंगी तथा आवेदक संस्थान उक्त शर्तों के पालन हेतु वचनबद्ध रहेगा।

छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसाइटी (चिप्स), रायपुर, छत्तीसगढ़ उक्त अधिरोपित शर्त को मान्य करने हेतु वचनबद्ध है।

संयुक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी
छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसाइटी (चिप्स)
रायपुर, छत्तीसगढ़





कार्यालय चिप्स
स्टेट डाटा सेंटर भवन, सिविल लाईन्स रायपुर, छत्तीसगढ़
फोन नं. 0771-4014158 फैक्स नं. 0771-4066205

अनुलग्नक -17

वचन पत्र

छत्तीसगढ़ शासन, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग का पत्र क्रमांक/एफ-5-37/2022/10-2
दिनांक 19/12/2023 द्वारा प्रदायित सैद्धांतिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्त क्र.-17:

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) नोडल अधिकारी (वन संरक्षण अधिनियम 1980) द्वारा प्रतिमाह की 5 तारीख के पूर्व राज्य शासन से जारी समस्त सामान्य अनुमोदन के प्रकरणों की रिपोर्ट, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, रायपुर को प्रेषित करेंगे।

छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसाइटी (चिप्स), रायपुर, छत्तीसगढ़ उक्त अधिरोपित शर्त से सहमत है।

संयुक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी
छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसाइटी (चिप्स)
रायपुर छत्तीसगढ़





कार्यालय चिप्स
स्टेट डाटा सेंटर भवन, सिविल लाईन्स रायपुर, छत्तीसगढ़
फोन नं. 0771-4014158 फैक्स नं. 0771-4066205

अनुलग्नक -18

वचन पत्र

छत्तीसगढ़ शासन, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग का पत्र क्रमांक /एफ-5-37/2022/10-2
दिनांक 19/12/2023 द्वारा प्रदायित सैद्धांतिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्त क्र.-18:

बिना भारत सरकार की अनुमति के वन भूमि का उपयोग बदलना, वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लंघन माना जायेगा तथा भूमि उपयोग को यदि बदलने की आवश्यकता हो, तो आवेदक संस्थान इस हेतु अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) नोडल अधिकारी तथा राज्य शासन के माध्यम से भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, रायपुर को निवेदन करेंगे।

छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसाइटी (चिप्स), रायपुर, छत्तीसगढ़ उक्त अधिरोपित शर्त को मान्य करने हेतु वचनबद्ध है।

✓ ✓

संयुक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी
छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसाइटी (चिप्स)
रायपुर छत्तीसगढ़





कार्यालय चिप्स
स्टेट डाटा सेंटर भवन, सिविल लाईन्स रायपुर, छत्तीसगढ़
फोन नं. 0771-4014158 फैक्स नं. 0771-4066205

अनुलग्नक -19

वचन पत्र

छत्तीसगढ़ शासन, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग का पत्र क्रमांक /एफ-5-37 /2022/10-2
दिनांक 19/12/2023 द्वारा प्रदायित सैद्धांतिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्त क्र.-19:

क्षेत्र के वनस्पति एवं वन्यजीव (Flora & Fauna) तथा पर्यावरण के संरक्षण/विकास हेतु समय-समय पर राज्य शासन या भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, रायपुर द्वारा अधिरोपित अन्य किन्हीं शर्तों के पालन हेतु आवेदक संस्थान बाध्य होगा।

छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसाइटी (चिप्स), रायपुर, छत्तीसगढ़ उक्त अधिरोपित शर्त को मान्य करने हेतु वचनबद्ध है।

संयुक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी
छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसाइटी (चिप्स)





कार्यालय चिप्स
स्टेट डाटा सेंटर भवन, सिविल लाईन्स रायपुर, छत्तीसगढ़
फोन नं. 0771-4014158 फैक्स नं. 0771-4066205

अनुलग्नक -20

वचन पत्र

छत्तीसगढ़ शासन, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग का पत्र क्रमांक /एफ-5-37/2022/10-2
दिनांक 19/12/2023 द्वारा प्रदायित सैद्धांतिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्त क्र.-20:

प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) यह सुनिश्चित करेंगे कि, प्रस्तावित कार्य के क्रियान्वयन में वन्यप्राणी संरक्षण से संबंधित कोई भी नियम/अधिनियम का उल्लंघन न हो।

छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसाइटी (चिप्स), रायपुर, छत्तीसगढ़ उक्त अधिरोपित शर्त से सहमत है।

PDJ

संयुक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी
छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसाइटी (चिप्स)
रायपुर छत्तीसगढ़




कार्यालय चिप्स
स्टेट डाटा सेंटर भवन, सिविल लाईन्स रायपुर, छत्तीसगढ़
फोन नं. 0771-4014158 फैक्स नं. 0771-4066205

अनुलग्नक -21

वचन पत्र

छत्तीसगढ़ शासन, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग का पत्र क्रमांक /एफ-5-37/2022/10-2
दिनांक 19/12/2023 द्वारा प्रदायित सैद्धांतिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्त क्र.-21:

सूर्योदय से पहले एवं सूर्यास्त के पश्चात ऑप्टिकल फायबर केबल बिछाये जाने के कार्य करने की अनुमति नहीं होगी।

छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसाइटी (चिप्स), रायपुर, छत्तीसगढ उक्त अधिरोपित शर्त को मान्य करने हेतु वचनबद्ध है।

संयुक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी
छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसाइटी (चिप्स)
रायपुर छत्तीसगढ़





कार्यालय चिप्स
स्टेट डाटा सेंटर भवन, सिविल लाईन्स रायपुर, छत्तीसगढ़
फोन नं. 0771-4014158 फैक्स नं. 0771-4066205

अनुलग्नक -22

वचन पत्र

छत्तीसगढ़ शासन, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग का पत्र क्रमांक /एफ-5-37/2022/10-2
दिनांक 19/12/2023 द्वारा प्रदायित सैद्धांतिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्त क्र.-22:

संरक्षित क्षेत्र के अंदर जलाऊ लकड़ी का संग्रहण नहीं किया जावेगा तथा कोई ऐसी गतिविधि संचालित नहीं की जायेगी जिससे वन्यप्राणियों के लिए प्रतिकूल परिस्थितियां निर्मित हो।

छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसाइटी (चिप्स), रायपुर, छत्तीसगढ़ उक्त अधिरोपित शर्त को मान्य करने हेतु वचनबद्ध है।

संयुक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी
छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसाइटी (चिप्स)
रायपुर छत्तीसगढ़





कार्यालय चिप्स
स्टेट डाटा सेंटर भवन, सिविल लाईन्स रायपुर, छत्तीसगढ़
फोन नं. 0771-4014158 फैक्स नं. 0771-4066205

अनुलग्नक -23

वचन पत्र

छत्तीसगढ़ शासन, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग का पत्र क्रमांक/एफ-5-37/2022/10-2
दिनांक 19/12/2023 द्वारा प्रदायित सैद्धांतिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्त क्र.-23:

मशीनों का उपयोग सही प्रकार से किया जावेगा जिससे वन्यप्राणियों पर विपरीत प्रभाव न पड़े तथा जैव विविधता को नुकसान न हो।

छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसाइटी (चिप्स), रायपुर, छत्तीसगढ़ उक्त अधिरोपित शर्त को मान्य करने हेतु वचनबद्ध है।

संयुक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी
छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसाइटी (चिप्स)
रायपुर छत्तीसगढ़





कार्यालय चिप्स
स्टेट डाटा सेंटर भवन, सिविल लाईन्स रायपुर, छत्तीसगढ़
फोन नं. 0771-4014158 फैक्स नं. 0771-4066205

अनुलग्नक -24

वचन पत्र

छत्तीसगढ़ शासन, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग का पत्र क्रमांक/एफ-5-37/2022/10-2
दिनांक 19/12/2023 द्वारा प्रदायित सैद्धांतिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्त क्र.-24:

आवेदक संस्था द्वारा वन्यप्राणी संरक्षण अधिनियम 1972, वन संरक्षण अधिनियम 1980 तथा भारतीय वन अधिनियम 1927 के नियमों का पालन किया जायेगा। ऑप्टिकल फायबर केबल बिछाये जाने के कार्य में इस्तेमाल हो रहे मलबा, उपकरण आदि संरक्षित क्षेत्र के अंदर नहीं छोड़े जायेंगे।

छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसाइटी (चिप्स), रायपुर, छत्तीसगढ़ उक्त अधिरोपित शर्त को मान्य करने हेतु वचनबद्ध है।

संयुक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी
छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसाइटी (चिप्स)
रायपुर छत्तीसगढ़





कार्यालय चिप्स
स्टेट डाटा सेंटर भवन, सिविल लाईन्स रायपुर, छत्तीसगढ़
फोन नं. 0771-4014158 फैक्स नं. 0771-4066205

अनुलग्नक -25

वचन पत्र

छत्तीसगढ़ शासन, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग का पत्र क्रमांक /एफ-5-37/2022/10-2
दिनांक 19/12/2023 द्वारा प्रदायित सैद्धांतिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्त क्र.-25:

कार्य के समय इस्तेमाल किये जाने वाले मशीनों एवं उपकरणों से किसी प्रकार का तेज ध्वनि उत्पन्न न हो जिससे की वन्यप्राणियों एवं उनके रहवास में बाधा हो यह सुनिश्चित करें।

छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसाइटी (चिप्स), रायपुर, छत्तीसगढ उक्त अधिरोपित शर्त को मान्य करने हेतु वचनबद्ध है।

संयुक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी
छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसाइटी (चिप्स)
रायपुर छत्तीसगढ़





कार्यालय चिप्स
स्टेट डाटा सेंटर भवन, सिविल लाईन्स रायपुर, छत्तीसगढ़
फोन नं. 0771-4014158 फैक्स नं. 0771-4066205

अनुलग्नक -26

वचन पत्र

छत्तीसगढ़ शासन, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग का पत्र क्रमांक/एफ-5-37/2022/10-2
दिनांक 19/12/2023 द्वारा प्रदायित सैद्धांतिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्त क्र.-26:

आवेदक संस्थान किसी भी स्थिति में भारत सरकार की पूर्वानुमति के बिना, व्यवर्तित वन भूमि को किसी भी अन्य संस्थान/विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तांतरित नहीं करेगा।

छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसाइटी (चिप्स), रायपुर, छत्तीसगढ़ उक्त अधिरोपित शर्त को मान्य करने हेतु वचनबद्ध है।

संयुक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी
छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसाइटी (चिप्स)
रायपुर छत्तीसगढ़





कार्यालय चिप्स
स्टेट डाटा सेंटर भवन, सिविल लाईन्स रायपुर, छत्तीसगढ़
फोन नं. 0771-4014158 फैक्स नं. 0771-4066205

अनुलग्नक -27

वचन पत्र

छत्तीसगढ़ शासन, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग का पत्र क्रमांक /एफ-5-37/2022/10-2
दिनांक 19/12/2023 द्वारा प्रदायित सैद्धांतिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्त क्र.-27:

Adequate mitigation measures should be put in place for protection and conservation of wildlife.

छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसाइटी (चिप्स), रायपुर, छत्तीसगढ़ उक्त अधिरोपित शर्त को मान्य करने हेतु
वचनबद्ध है।

संयुक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी
छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसाइटी (चिप्स)





कार्यालय चिप्स
स्टेट डाटा सेंटर भवन, सिविल लाईन्स रायपुर, छत्तीसगढ़
फोन नं. 0771-4014158 फैक्स नं. 0771-4066205

अनुलग्नक -28

वचन पत्र

छत्तीसगढ़ शासन, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग का पत्र क्रमांक/एफ-5-37/2022/10-2
दिनांक 19/12/2023 द्वारा प्रदायित सैद्धांतिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्त क्र.-28:

Care should be taken that no natural drainage gets obstructed by implementation of the project- Adequate water passageways need to be provided wherever applicable.

छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसाइटी (चिप्स), रायपुर, छत्तीसगढ़ उक्त अधिरोपित शर्त को मान्य करने हेतु वचनबद्ध है।

संयुक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी
छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसाइटी (चिप्स)
रायपुर छत्तीसगढ़





कार्यालय चिप्स
स्टेट डाटा सेंटर भवन, सिविल लाईन्स रायपुर, छत्तीसगढ़
फोन नं. 0771-4014158 फैक्स नं. 0771-4066205

अनुलग्नक -29

वचन पत्र

छत्तीसगढ़ शासन, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग का पत्र क्रमांक /एफ-5-37/2022/10-2
दिनांक 19/12/2023 द्वारा प्रदायित सैद्धांतिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्त क्र.-29:

No labor camp should be constructed within the Elephant Reserve or Forest area.

छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसाइटी (चिप्स), रायपुर, छत्तीसगढ़ उक्त अधिरोपित शर्त को मान्य करने हेतु
वचनबद्ध है।

Q21 ✓
संयुक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी
छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसाइटी (चिप्स)
रायपुर छत्तीसगढ़




कार्यालय चिप्स
स्टेट डाटा सेंटर भवन, सिविल लाईन्स रायपुर, छत्तीसगढ़
फोन नं. 0771-4014158 फैक्स नं. 0771-4066205

अनुलग्नक -30

वचन पत्र

छत्तीसगढ़ शासन, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग का पत्र क्रमांक /एफ-5-37/2022/10-2
दिनांक 19/12/2023 द्वारा प्रदायित सैद्धांतिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्त क्र.-30:

Special care should be taken to ensure that the animal movement is not restricted due to the construction work.

छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसाइटी (चिप्स), रायपुर, छत्तीसगढ उक्त अधिरोपित शर्त को मान्य करने हेतु वचनबद्ध है।

1224

संयुक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी

छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसाइटी (चिप्स)

रायपुर छत्तीसगढ़

